



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १२, अंक १]

बुधवार, जानेवारी ७, २०२६/पौष १७, शके १९४७

[पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

वित्त विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक ०१ जानेवारी, २०२६

क्रमांक एमआयएस-२०२५/प्र.क्र.१२०/अर्थोपाय.— भारतीय प्रतिभूति आणि विनियम बोर्ड यांच्याकडून भारत सरकारच्या असाधारण राजपत्र भाग III, खंड-४ क्रमांक ५०९ मध्ये दिनांक १४ जुलै, २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेली खालील अधिसूचना माहतीसाठी याद्वारे पुनःप्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, १४ जुलाई, २०२५

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन /२०२५/२५०.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सचेंज स्कायर, सुरेन रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र ४०० ०९३, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, २०१८ के विनियम १२ के तहत मान्यता का नवीकरण प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते हुए और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज मार्केट) के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा ८क की उप-धारा (४) के साथ पठित धारा ४ द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) को मान्यता का नवीकरण ३१ जुलाई २०२५ को प्रारंभ होने वाली और ३० जुलाई २०२८ को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए, यहाँ नीचे उल्लिखित शर्त या इसके बाद निर्धारित की जाए या लगाई जाए शर्त के अध्वधीन, प्रदान करता है:

उक्त समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन करेगा।

अनंत नारायण गो. पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन-III/4/असा./242/2025-26]

(१)

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th July, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/250.—Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of renewal of recognition under Regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, by Multi Commodity Exchange Clearing Corporation Limited, Exchange Square, Suren Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra 400 093 and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said clearing corporation for three years commencing on the 31st day of July, 2025 and ending on the 30th day of July, 2028, subject to the condition stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

The Clearing Corporation shall comply with the conditions specified by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

ANANTH NARAYAN G, Whole Time Member
[ADVT.-III/4/Exty./242/2025-26].

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुनिल शिंदे,
शासनाचे उप सचिव.